राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

पीठासीन अधिकारी — जय सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नंबर — 111 / 2021

1. सत्यनारायण पुत्र सावलराम
2. अनिल कुमार शर्मा पुत्र सत्यनारायण शर्मा
3. कविता शर्मा पत्नी अनिल कुमार शर्मा
   जाति ब्राहमण निवासी भिटेरा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

.... वादीगण

ब—ना—म

1. जगदीश प्रसाद पुत्र बिड़दाराम जाति गुर्जर निवासी ताल तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
2. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक शाखा बड़ाऊ जरिये शाखा प्रबंधक।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, खेतड़ी।

..........प्रतिवादीगण

दावा— खाता विभाजन

—: निर्णय :— **दिनांक 01—08—2022**

उपर्युक्त उनवानी प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 31—03—2022 को प्राथमिक डिक्री का निर्णय पारित किया गया कि ग्राम ताल तहसील खेतड़ी स्थित भूमि खाता संख्या 446 खसरा नंबर 1003 रकबा 2.43 है. भूमि में वादी सं. 1 के 19 / 243 हिस्से को, वादी सं. 2 के 110 / 243 हिस्से को तथा वादिया सं. 3 के 11 / 81 हिस्से को संयुक्त रखते हुए अलग से खाता विभाजन कर लगान अलग से कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। पक्षकारान के राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से व मौके पर कब्जा काश्त तथा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 एवं रास्तों सम्बन्धी राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 6.11.2004 को मध्य नजर रखते हुये विभाजन प्रस्ताव तैयार कर यथाशीघ्र भिजवाने हेतु तहसीलदार, खेतड़ी को तहरीर जारी की गई। तहसीलदार (भू.अ.), खेतड़ी ने अपने पत्र क्रमांक: भू.अ. / 2022 / 1879 दिनांक 31.05.2022 से न्यायालय के निर्णयानुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किये गये जो शामिल पत्रावली किये गये।

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.02 12:12:18 IST
Reason: SelfAttested

बहस विद्वान अधिवक्ता वादीगण विभाजन प्रस्ताव पर सुनी गई। अधिवक्ता वादीगण ने तहसीलदार, खेतड़ी द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव दिनांक 31–05–2022 के अनुसार अंतिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली पर उपलब्ध विभाजन प्रस्ताव दिनांक 31–05–2022 (प्रदर्श–''अ–1 लगा. अ–4'' व ''ब'') का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। अतः वाद वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 31–05–2022 (प्रदर्श–''अ–1 लगा. अ–4'' व ''ब'') के अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

<u>आदेश</u>

अतः वाद वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 31–05–2022 (प्रदर्श–''अ–1 लगा. अ–4'' व ''ब'') के अन्तिम डिक्री किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव दिनांक 31–05–2022 (प्रदर्श–''अ–1 लगा. अ–4'' व ''ब'') इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगें। तहसीलदार खेतड़ी पक्षकारान के निवेदन पर प्रदर्श–''ब'' के अनुसार सीमांकन करवायेंगे। उक्तानुसार अन्तिम पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 01–08–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.02 12:42:18 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, खेतड़ी जिला झुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारी – जय सिंह, आर.ए.एस.

उनवान

1. सत्यनारायण पुत्र सावलराम
2. अनिल कुमार शर्मा पुत्र सत्यनारायण शर्मा
3. कविता शर्मा पत्नी अनिल कुमार शर्मा
   जाति ब्राहमण निवासी भिटेरा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

ब–ना–म

1. जगदीश प्रसाद पुत्र बिड़दाराम जाति गुर्जर निवासी ताल तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
2. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक शाखा बड़ाऊ जरिये शाखा प्रबंधक।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, खेतड़ी।

दावा बाबत **खाता विभाजन**

मुकदमा नम्बर :– **111/2021**

निर्णय दिनांक :– **01–08–2022**

वादी की ओर से **श्री गिरधारी लाल सैनी एडवोकेट** की व प्रतिवादी की ओर से ...... की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख **01–08–2022** को मेरे समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि –

"अतः वाद वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 31–05–2022 (प्रदर्श–"अ–1 लगा. अ–4" व "ब") के अन्तिम डिक्री किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव दिनांक 31–05–2022 (प्रदर्श–"अ–1 लगा. अ–4" व "ब") इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगें।"

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख **01–08–2022** को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी
उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.02 12:12:18 IST
Reason: SelfAttested